न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**रमेश देव** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—589 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

1. गुरदास सिंह वल्द बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

— वादी

बनाम्

1. बलवंत सिंह पुत्र जगरसिंह जाति जटसिख निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. रमनदीप कौर पुत्री बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सुखजीत कौर पत्नी बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री नरेश मण्डा — वादी
2. श्री संजय धारणियां — प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 20.12.2022

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 15 बीजीपी के खाता सं. 112 / 75 वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.518 है., चक 5 एएमपी के खाता सं. 68 / 30 में से 0.591 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह है कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की विरासतन कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादी व प्रतिवादीगण ने घरू तौर पर उक्त भूमि का विभाजन कर लिया है। परन्तु जमाबंदी में भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं है। वादी अपने पिता के नाम से दर्ज कृषि भूमि का हिस्सा अपने नाम से घोषित करवाकर करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 2 में दर्ज भूमि का परिवार की सुख शांति स्थापित करने व भविष्य के विवादों का समाप्त करने के उद्देश्य से घरू बंटवारा पर विभाजन कर लिया है। प्रतिवादी सं. 2 ने घरेलू बंटवारा अनुसार अपने हक व हिस्सा का परित्याग घरू विभाजन के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 के पक्ष में कर दिया है। अब प्रतिवादीया सं 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। घरू विभाजन अनुसार ही वादी कृषि भूमि का घोषणा करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि घरेलू बंटवारा अनुसार चक 15 बीजीपी के खाता सं. 112 / 75 में वादी का 0.759 है. व चक 5 एएमपी के खाता सं. 68 / 30 में प्रतिवादी सं. 3 को 0.591 है. कृषि भूमि अर्सा पूर्व उपहार के रूप में दे रखी है का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व चक 15 बीजीपी के खाता ंस. 112 / 75 में प्रतिवादी सं. 1 0.759 हिस्सा कम करवाने व चक 5 एएमपी के खाता सं. 68 / 30 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाने के वादी अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादी मौका पर वाद पत्र की चरण सं. 5 अनुसार ही काबिज कब्जा काश्त है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार घोषण न होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पडता है व रकब राज वाटरमेंट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. 5 अनुसार कृषि भूमि की घोषण होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गय यही वादी का कारण है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता संजय धारणिया ने वकालतनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 की और से राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 3 सुनी गई। वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 ता 3 वाद पत्र/राजीनामा से स्पष्ट है तथा कब्जा काश्त या अन्य कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादीगण वाद की दफा 8 (क) अनुसार घोषणात्मक डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 15 बीजीपी के खाता सं. 112/75 में वादी गुरदास सिंह को 0.759 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी हद तक उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 बलवंत सिंह का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है। चक 5 एएमपी के खाता सं. 68/30 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.591 है. रकबा प्रतिवादी सं. 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। रकम राज अलग से कायम हो। वाद पत्र पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 589 / 2022

1. गुरदास सिंह वल्द बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. बलवंत सिंह पुत्र जगरसिंह जाति जटसिख निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. रमनदीप कौर पुत्री बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सुखजीत कौर पत्नी बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावांली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणिया वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 15 बीजीपी के खाता सं. 112 / 75 में वादी गुरदास सिंह को 0.759 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी हद तक उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 बलवंत सिंह का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है। चक 5 एएमपी के खाता सं. 68 / 30 में प्रतिवादी सं. 1 बलवंत सिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 0.591 है. रकबा प्रतिवादी सं. 3 सुखजीत कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज......×........नल.......×.......मुब्लिक......×........निल......×.........बाबत्......×........निल.......×.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......×.......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया